

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक: न्याय/का0व्य0/2020/ 2796

दिनांक: 22/03/2020

:: संघोधित आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कार्यालय निषेधाज्ञा आदेश क्रमांक न्याय/2020/2579-2602 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा जिला दौसा में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से लोगो के जीवन को बचाने हेतु प्रथम चरण में 31 मार्च, 2020 तक धारा 144 लागू की गई थी। उक्त निषेधाज्ञा आदेश जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। परन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त निषेधाज्ञा आदेश में संघोधन किया जाकर सार्वजनिक स्थलों पर 20 से अधिक व्यक्तियों के स्थान पर वर्तमान में 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध घोषित किया जाता है।

यह संघोधित निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31.03.2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी।

चूंकि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा व्यक्तिगत तामील करवाना सम्भव नहीं है। अतः एक पक्षीय जारी किया जाता है। संबद्ध विभाग एवं जन सम्पर्क अधिकारी व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा आम जनता को सूचित करेंगे।

यह संघोधित निषेधाज्ञा जन साधारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से आज दिनांक 22.03.2020 को जारी किया गया है।



(अविचल चतुर्वेदी)
जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

क्रमांक: न्याय/का0व्य0/2020/ 2797-

दिनांक: 22/03/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ :-

1. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
 2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-
1. पुलिस अधीक्षक महोदय, दौसा ।
 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।
 3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा/महवा/सिकराय/बांड़ीकुई/लालसोट/नांगल राजावतान/रामगढ पचवारा।
 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
 5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, दौसा।
 6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय दौसा ।
 7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
 8. जिला आबकारी अधिकारी, दौसा।

9. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा।
10. सहायक खनि अभियन्ता दौसा।
11. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा।
12. श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा।
13. उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, दौसा
14. अधीक्षक विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, दौसा।
15. उपाधीक्षक जिला कारागृह, दौसा।
16. मत्स्य परियोजना अधिकारी, दौसा।
17. सचिव कृषि उपज मण्डी समस्तजिला दौसा।
18. स्टेशन अधीक्षक समस्त..... रेलवे स्टेशन जिला दौसा
19. मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दौसा।
20. प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलेक्ट्रेट, दौसा।
21. आयुक्त, नगर परिषद दौसा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा
22. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगणजिला दौसा
23. समस्त तहसीलदारजिला दौसा।
24. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, लालसोट/ बांदीकुई/ महवा।
25. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दौसा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जरिये ई-मेल समस्त विभागो/कार्यालय को सूचित करवाना सुनिश्चित करे। अति. निजी सचिव जिला कलेक्टर/निजी सहायक अति० जिला कलेक्टर, दौसा। गार्ड फाईल।




 जिला मजिस्ट्रेट
 जिला मैजिस्ट्रेट
 दौसा (राज०)